the pioneer
Friday, 12th April 2013

नकलीकरण और स्मगलिंग के विरुद्ध बनाएं संयुक्त चैप्टर: फिक्की-कैस्केड

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रो. अभिषेक मिश्रा ने किया उपभोक्ता अभियान सेमिनार का उद्घाटन

लखनऊ। फिक्की-कैस्केड (कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डेस्ट्राइंग द इकोनॉमी) ने आज सुझाव दिया कि आम जनता के स्तर पर स्मगलिंग और नकलीकरण के खतरे के विरुद्ध राज्य सरकार संयुक्त चैप्टर खोले। इस मुद्दे पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने सैद्धांतिक सहमति देते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस, कस्टम व एक्साइज विभाग आदि को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने के लिए फिक्की को आमंत्रित किया है। मालूम हो कि फिक्की-कैस्केड ने स्मगलिंग और नकलीकरण के खतरे के विरुद्ध अपनी लड़ाई में मोर्चा संभाला हुआ है। आज कैस्केड ने एक मोमबत्ती प्रकाश समारोह का आयोजन किया जिसके बाद 'नकलीकरण और स्मगलिंग के विरुद्ध उपभोक्ता अभियान' पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। लगभग 500 लोगों के समूह ने इसके लिए कदम उठाने और 'नकली छोड़ो' और 'स्मगलिंग से लड़ो' के लिए प्रतिज्ञा की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने इस उद्देश्य के लिए पहली मोमबत्ती जला कर इस आयोजन का शुभारंभ किया।

फिक्की-कैस्केड (पूर्व चेयरमैन सीबीईसी) के सलाहकार पीसी झा, सलाहकार ने 'सात प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नकलीकरण, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव' पर किए गए एक अध्ययन का अवलोकन प्रस्तुत करते हुआ कहा कि वर्ष 2012 में सराकर को होने वाला अनुमानित वार्षिक कर घाटा लगभग 26,190 करोड़ रुपये है। अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया कि उद्योग क्षेत्र को इससे 1,00,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बिक्री का घाटा होता है। इस अध्ययन में शामिल किए गए प्रमुख क्षेत्रों में ऑटो कम्पोनेंट्स, एल्कोहल, कम्प्यूटर हार्डवेयर, एफएमसीजी (उपभोक्ता वस्तुएं), एफएमसीजी पैकेज्ड वस्तुएं, मोबाइल फोन व तम्बाकू शामिल हैं। स्मगलिंग, टैक्स चोरी और नकली उत्पादों के कारण सरकार को होने वाला सर्वाधिक राजस्व नुक्सान तम्बाकू क्षेत्र से अधिकतम 6,240 करोड़ रुपये है जिसके बाद एफएमसीजी (पैकेज्ड वस्तुएं) से 5,600 करोड़ और एफएमसीजी (व्यक्तिगत उपभोक्ता वस्तुएं) से 4,646 करोड़ रुपये की हानि होती है। यह अध्ययन सरकार के उन अनुमानों की भी पुनर्पुष्टि करता है जिसके अनुसार बाजार में मिलने वाली 5 फीसद दवाइयां नकली हैं जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है।